मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 5472
25 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

egkuxjk e i; ty dh deh

5472. श्री चन्द्रेश्वर प्रसादः

क्या vkokl u vkj 'kgjh dk;l मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पटना सहित देश के महानगरों में पेयजल की कमी के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी महानगर–वार ब्यौरा क्या है और पेयजल की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार महानगरों में पर्याप्त जलापूर्ति करने हेतु कोई एकीकृत समग्र योजना बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की ओर से संबंधित राज्यों में जल की कमी के मद्देनजर केन्द्रीय सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : केन्द्रीय भू जल बोर्ड के अनुसार, पटना चण्डीगढ़, दिल्ली, पुणे, इन्दौर, नासिक, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, कोटा, आगरा, गाजियाबाद, हैदराबाद आदि मैट्रो शहरों सहित 18.7% शहरी स्थानीय निकाय जल संकट का सामना कर रहे हैं। पेयजल की कमी होने का स्पष्ट कारण अंधाधुंध दोहन, अनियमित मानसून और अनधिकृत विकास की वजह से भूमिगत जल में तेजी से होने वाली गिरावट है।

(ग) : जलापूर्ति राज्य का विषय है और राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है कि वे शहरों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करें। भारत सरकार अपनी प्रमुख विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में वृद्धि करती है।

भारत सरकार ने, देश में चयनित 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 जून, 2015 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरूआत की। मिशन के अंतर्गत, परिवारों को जलापूर्ति करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ह॥ अमृत के अंतर्गत, 77,640 करोड़ रू. की कुल अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में से, 39,011 करोड़ रू.जलापूर्ति क्षेत्र के लिए आबंटित किए गए हैं ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अतिरिक्त उपाय किए हैं जिनका उद्देश्य वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन तथा अन्य जल संरक्षण के उपाय करके शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और शहरी विकास प्राधिकरणों (यूडीए) के लिए शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) और मॉडल भवन निर्माण उप-विधि (एमबीबीएल) हेतु दिशानिर्देश जारी करने जसे जल संरक्षण के उपाय करना ह॥ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए जून, 2012 में वर्षा जल संचयन और संरक्षण संबंधी मन्नयुअल भी जारी किया ह॰।

हाल ही में, भारत सरकार ने वर्षा जल संचयन जलाशयों का पुनरूद्धार और शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग आदि के माध्यम से जल के संरक्षण, पुनर्भण्डारण, पुनर्भरण और पुनः उपयोग करने, के लिए सशक्त प्रयास करने हेतु जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा ह॰ और ''राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शहरी जल संरक्षण हेतु दिशानिर्देश'' जारी किए हैं।

(घ) और (ड.): अमृत के अंतर्गत, परियोजनाओं का चयन, आकलन, अनुमोदन और कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता ह॥ भारत सरकार केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एसएएपी अनुमोदित करती ह॰ और मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता जारी करती ह॥

अमृत के अंतर्गत, सम्पूर्ण मिशन अवधि (25 जून,2015 से 31 मार्च,2020 तक) के लिए 77,640 करोड़ रू. के एसएएपी, जिसमें 35,990 करोड़ रू. की प्रतिबद्ध केन्द्रीय सहायता शामिल ह॰ को आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं।